भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †4953
सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

निधि+ प्लेटफार्म

†4953. श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री सुनील कुमार:
श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री प्लस (निधि+) प्लेटफार्म के अंतर्गत पंजीकृत आतिथ्य और पर्यटन सेवा प्रदाताओं की वर्ष-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा अनुपालन, आंकड़ों के सत्यापन और राज्य पर्यटन डाटाबेस के साथ एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्लेटफार्म के अंतर्गत पंजीकरण को प्रोत्साहन, वर्गीकरण या मान्यता प्रदान करने संबंधी योजनाओं से जोड़ा गया है; और

(घ) क्या सरकार ने बेहतर पारदर्शिता और व्यापार करने में सुगमता के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पश्चिमी चंपारण में इसके कार्यान्वयन की क्या स्थिति है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क): राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग डेटाबेस (निधि+) प्लस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत वर्ष 2023 से 2026 तक के पंजीकरण के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 (19.03.2026 तक)**	**कुल**
आवास इकाई	4196	3886	3161	424	11667
पर्यटन सेवा प्रदाता	2913	2314	2214	281	7722
कुल योग	**7109**	**6200**	**5375**	**705**	**19389**

(ख): अनुपालन, डेटा सत्यापन और राज्य पर्यटन डेटाबेस के साथ एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, इस प्लेटफ़ॉर्म में ईमेल ओटीपी प्रमाणीकरण, एसएमएस ओटीपी प्रमाणीकरण, पैन सत्यापन और

एफएसएसएआई सत्यापन (जहां लागू हो) सहित कई स्तरों का डिजिटल सत्यापन शामिल है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संबंधित पर्यटन विभागों से नामित राज्य के नोडल अधिकारी पंजीकृत इकाइयों की प्रामाणिकता का सत्यापन करते हैं, जिसके बाद संबंधित इकाई को एक विशिष्ट निधि आईडी प्राप्त होती है।

(ग) और (घ): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार वर्गीकरण/अनुमोदन की अपनी स्वैच्छिक योजना के अंतर्गत, आवास इकाइयों और पर्यटन सेवा प्रदाताओं को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत करता है।

पश्चिम चंपारण समेत अन्य क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने आवास इकाइयों के वर्गीकरण और पर्यटन सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए आवदेन प्राप्त करने, उन्हें प्रोसेस करने और अनुमोदन प्रदान करने/सूचित करने की एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। इनके लिए आवेदन राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग डेटाबेस (निधि+) पोर्टल, यानी nidhi.tourism.gov.in पर जमा किए जा सकते हैं। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को पेमेंट गेटवे से भी जोड़ा गया है।

*****